Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

संख्या 9/148/2024–4क II .– हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) तथा उप–धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सम्भाव्य व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् राज्य सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के खण्ड (i) में, ''पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्द के बाद, '',पिछड़े वर्गों 'ख' '' चिह्न, शब्द तथा वर्णाक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 के खण्ड (ग) में, ''तथा पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्दों, चिह्न तथा वर्णाक्षर के स्थान पर, '',पिछड़े वर्गों 'क' तथा पिछड़े वर्गों 'ख' '' चिह्न, शब्द तथा वर्णाक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।